



बिहार सरकार

# समाहरणालय, खगड़िया



ई-मेल :- dm-khagaria.bih@nic.in,  
generalsectionkhagaria@gmail.com

वेबसाईट :- <https://khagria.nic.in>

दूरभाष :- 06244-222135

## (जिला शास्त्र शाखा)

### आदेश

श्री कुमार भानू प्रताप, पे0-स्व0 राम सुन्दर पासवान, साकिन-नन्हकुमंडल टोला, थाना-मुफसिल, जिला-खगड़िया के नाम से शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-19/1993 एवं 08/2005 (खगड़िया थाना) निर्गत है। आयुध नियम-2016 के सुसंगत नियमानुसार एक ही अनुज्ञप्ति पर दोनों शस्त्र दर्ज होना चाहिए। इस आलोक में पूर्व से ही अनुज्ञप्तिधारी की सहमति के आधार पर NDAL-ALIS पर शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-8/2005 (खगड़िया थाना) पर ही दोनों शस्त्र यथा राईफल सं0-AB-05-6751 एवं बन्दूक सं0-19232 दर्ज है एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर भी अनुज्ञप्ति सं0-08/2005 पर दोनों शस्त्र अंकित कर दिया गया है।

अतः अनुज्ञप्तिधारी श्री कुमार भानू प्रताप, पे0-स्व0 राम सुन्दर पासवान, साकिन-नन्हकुमंडल टोला, थाना-मुफसिल, जिला-खगड़िया द्वारा धारित द्वितीय शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-19/1993 (खगड़िया थाना) को रद्द किया जाता है।

६०/-

जिला दण्डाधिकारी,  
खगड़िया।

ज्ञापांक IV-14/2020.....1600...../जी0, दिनांक 18/12/2021

- प्रतिलिपि : श्री कुमार भानू प्रताप, पे0-स्व0 राम सुन्दर पासवान, साकिन-नन्हकुमंडल टोला, थाना-मुफसिल, जिला-खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, खगड़िया/मुफसिल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आई0टी0 प्रबंधक, खगड़िया को वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,  
खगड़िया।